न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2024

प्रदीप कुमार मिश्र...वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
02.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–03 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 02.05.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वादी के आवेदन दिनांक 02.05.2025 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	
पश्चात् **02.05.2025**	**आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं0–03 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त वाद में बिहार सरकार बड़ी मुश्तैदी से संघर्ष करना चाहती है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2024 द्वारा प्रतिवादी बिहार सरकार को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया था। अंचल कार्य में काफी व्यस्तता के कारण तथ्य विवरणी प्राप्त नहीं कराया जा सका जिसके कारण ब्यान तहरीरी दाखिल करने में विलम्ब हुआ। न्यायहित में तथा वाद के पूर्ण और प्रभावी निष्पादन हेतु ब्यान तहरीरी को स्वीकार करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 17.02.2024 के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी सं0–03 के ब्यान तहरीरी और कारण पृच्छा को स्वीकार करने की कृपा करे। इसके	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2024

प्रदीप कुमार मिश्र...वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **02.05.2025**	लिए प्रतिवादी सं0–03 श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। वादी की ओर से कोई पत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन प्रतिवादी सं0–03 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और प्रतिवादी सं0–03 का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–03 का आवेदन दिनांक 02.05.2025 न्यायालय आदेश दिनांक 17.02.2024 को वापस लेने और प्रतिवादी सं0–03 के ब्यान तहरीरी और कारण पृच्छा को स्वीकार करने हेतु लाया गया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–03 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 02.05.2025 को स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 17.02.2025 प्रतिवादी सं0–03 के लिए वापस लिया जाता है एवं प्रतिवादी सं0–03 का ब्यान तहरीरी स्वीकार किया जाता है। चूंकि वादी के आवेदन दिनांक 25.10.2024 अंदर आदेश 39 नियम 10(1) एवं (02) सीपीसी के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। अतः प्रतिवादी सं0–03 की ओर से दाखिल कारण पृच्छा को अभिलेख पर रखा जाता है। वाद दिनांक 24.05.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	